समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक ३, नं. १ एप्रिल २०१०

सूचि

१. कानून और नीति

१.१ अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६

१.१.१. ओडिशा से मिली ख़बर – संरक्षित क्षेत्र और FRA के बारे में राष्ट्रिय विचारगोष्टी (७–८ दिसंबर २००९, रेड क्रॉस भवन, भुबनेस्वर)

२. समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र

२.१ गुजरात से मिली ख़बर

२.१.१. छारी धाण्ड आरक्षित क्षेत्र, भुज, कच्छ में २५–२६ दिसंबर, २००९ को विचारगोष्ठी

२.२ उत्तराखण्ड से मिली ख़बर

२.२.१ उत्तराखण्ड के जैवविविधता से भरपूर, समुदाय द्वारा संरक्षित, क्षेत्रों के बारे में आयोजित की गई सभा

२.२.२ मुन्सिआरी वन पंचायत ख़तरे में

३. 'केस स्टडी'

३.१ ओडिशा – वन अधिकार कानून (Forest Rights Act - FRA) को लागू करने में सफल (कलाहण्डी ज़िले के कर्लापाट अभयारण्य में समुदाय के अधिकारों में परिवर्तन)

३.२ राजस्थान – अरवली पर्वतों में समुदायों द्वारा संरक्षण

४. अंतर्राष्ट्रीय ख़बरें

४.१ बांग्लादेश में समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों (CCA) पर चर्चासत्र

४.२ नेपाल में नये संरक्षित क्षेत्रों की हाल में की गई घोषणा

संपादकीय

नमस्कार!

इस अंक में भी हम अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता (FRA)) अधिनियम २००६ पर हो रही चर्चाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अंक की शुरुआत हम भुबनेस्वर में आयोजित FRA के कार्यान्वयन पर हुई दो दिनों की चर्चाओं से करेंगे। इस मीटिंग में भारत भर से आये हुए अनेक कार्यकर्ता व संशोधक शामिल हुए और इसमें ख़ास तौर पर संरक्षित क्षेत्रों (अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों) में हो रहे FRA के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया।

दुसरे विभाग में सहजीवन (एक NGO) ने कच्छ के 'छारी धाण्ड कॉन्ज़र्वेशन रिज़र्व' के संरक्षण के बारे में आयोजित की हुई मीटिंग के बारे में भी आप पढ़ेंगे।

एक बुरी खबर : उत्तराखण्ड के मुन्सिआरी में स्थित दो महसूल गाँवों की वन पंचायतों से है। इस वन पंचायत के चुनावों में बार–बार बाधा ड़ाली गई । गोरी गंगा घाटी जहाँ ये गाँव स्थित हैं वहाँ 'नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन' २६१ मेगा वाट का जल–विद्युत केंद्र बना रहे हैं, और उन्ही के गुंडो और ठेकेदारों को इस बाधा के लिये ज़िम्मेदार माना जा रहा है। लगता है कि वन पंचायत द्वारा जंगलों की रक्षा करना ठेकेदारों और कंपनीवालों को पसंद नहीं है।

FRA के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई साल पहले हुए अन्यायों को हटाने की इस कानून की क्षमता के बारे में आज भी कई लोगों को संदेह है। इस अंक के तीसरे भाग में हम ने कलाहण्डी ज़िले के कर्लापाट अभयारण्य में स्थित तेंटुलीपदर गाँव में हो रहे इस कानून के कार्यान्वयन का वर्णन दिया है, जो कुछ हद तक ऐसे संदेह दूर कर सकेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हर एक कानून की कुछ सीमाएँ तो ज़रूर होंगी। पूरी तरह से समता और न्याय देना अकेले ही किसी एक कानून के लिये मुमकिन नहीं हो सकेगा।

मेहा जैन ने प्रस्तुत की हुई एक अन्य 'केस स्टडी' में दिखाया गया है कि राजस्थान में अरवली पर्वतों में स्थित भाओंटा–कोलयाला गाँव की तरह समुदाय की रोज़ी–रोटी का संरक्षण और नैसर्गिक संसाधनों के संरक्षण को एकसाथ कैसे किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रिपोर्ट किया गया है कि 'सिविल सोसायटी' को नेपाल में घोषित किये गये नये संरक्षित क्षेत्रों से चिंता हो रही है। और बांग्लादेश में समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के विषय में आयोजित की गई राष्ट्रीय विचारगोष्ठी यशस्वी रही।

आप की राय का हमें इंतजार है।

आपका साथी

मिलिन्द

१. कानून और नीति

१.१ अनुसूचित जनजाति व अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, २००६

१.१.१. ओडिशा से मिली ख़बर – संरक्षित क्षेत्र और FRA के बारे में राष्ट्रिय विचारगोष्टी (७–८ दिसंबर २००९, रेड क्रॉस भवन, भुबनेस्वर)

संरक्षित क्षेत्रों में FRA का कार्यान्वयन– इस विषय पर 'ओडिशा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क' याने OPAN संस्था, और वसुंधरा संस्था ने मिलकर २ दिन की राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की थी। चर्चा के मुख्य विषय थे: (i) सामुदायिक वन अधिकारों के लिये मान्यता और उन को इस्तेमाल करने के लिये/उनसे लाभ उठाने के लिये प्रावधान (ii) वन्य जीव जंतुओं के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण अधिवास स्थलों को FRA के अनुसार पहचान लेने के लिये प्रावधान (ओडिशा तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में)। इन राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि व NGO, विशेषज्ञ, संशोधक और अनेक कार्यकर्ता विचारगोष्ठी में शामिल हुए थे। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चाएँ हुई :

- कानून के अनुसार प्रक्रिया समाप्त करने की आख़िरी तारीख
- संरक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार – CFR
- आदिम जनजातियों को आधिवास के अधिकार

विचारगोष्ठी के अंत में जो सिफ़ारिशें दी गयी, वे इस प्रकार हैं :

- अनेक जगहों पर सरकार द्वारा FRA प्रक्रिया को समाप्त करने की एक तिथी निर्धारित की जा रही है। कानून में एसी आखिरी तारिख़ का कोई उल्लेख नहीं है। आदिवासी कार्य मंत्रालय/ जनजाति व्यवहार मंत्रालय को राज्यों को तुरंत स्पष्ट करना चाहिये कि इमानदारी व निष्ठा के बिना इस प्रक्रिया के कोई भी कार्यान्वयन की आख़िरी तारिख निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
- आदिवासी मंत्रालय और राज्य सरकारों को FRA में दिये गये विविध सामुदायिक वन अधिकारों की लोगों में जानकारी बढ़ाने के लिये कदम उठाने चाहिये, और ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों को आवश्यक सहयोग देना चाहिये।
- सरकार की कार्यान्वयन करनेवाली एजेन्सियों और विशेष एजेन्सियों को आदिम जनजातियों के समुदायों को आधिवास के अधिकार प्राप्त करने में मदद करनी चाहिये।

लेखक : तुषार दाश (tushardash01@gmail.com),
वसुंधरा, भुबनेस्वर, ओडिशा; पत्र भेजने के लिये पता है :
ए – ७०, शहीद नगर, भुबनेस्वर, पिन ७५१००७ ओडिशा,
फोन/फॅक्स : ०६७४–२५४२०११/१२/२८

बॉक्स १. FRA के कार्यान्वयन की स्थिति।

FRA २००६ के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में हाल ही में मिले रिपोर्ट को पढ़ने के लिये : http://www.fra.org.in/fra_status.htm

लेखक : वाय. गिरि राव (ygiri.rao@gmail.com), वसुंधरा, भुबनेस्वर, ओडिशा

२. समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र

२.१ गुजरात से मिली ख़बर

२.१.१. छारी धाण्ड आरक्षित क्षेत्र, भुज, कच्छ में २५–२६ दिसंबर, २००९ को विचारगोष्ठी

निचले क्षेत्रों में जमा पानी के विशाल विस्तार व उसके आसपास के प्राकृतिक घास के मैदान या बन्नी की परिसंस्था छारी धाण्ड में पायी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में विविध प्रजातियों के स्थानीय तथा पलायन करनेवाले पंछी दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग भी इस क्षेत्र में अपनी भैसें, ऊंट और भेड़ों को चराते हैं। इन समुदायों का छारी धाण्ड पर सामुदायिक स्वामित्व अधिकार है, और यहाँ के संसाधनों के उपयोग और व्यवस्थापन की एक पारम्परिक व्यवस्था रही है।

छारी धाण्ड क्षेत्र के संरक्षण के लिये, और इस क्षेत्र के संरक्षण क्षेत्र घोषित होने से वहाँ के चरवाहों पर पड़नेवाले प्रभावों को ले कर कच्छ में कार्य करनेवाली NGO 'सहजीवन' ने एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया था। लोगों पर पड़नेवाले प्रभावों को पहचानना और छारी धाण्ड का संरक्षण आसपास बसनेवाले समुदायों के द्वारा ही किये जा सकने का अंदाजा लगा पाना, इस कार्यशाला का उद्देश्य था। वन विभाग द्वारा बनायी हुई व्यवस्थापन योजना के मसौदे को सहजीवन द्वारा समुदायों के सदस्यों को विचारगोष्ठी के कई दिन पहले ही बांटा गया था, और उनकी राय भी माँगी गई थी। स्थानीय चरवाहों के साथ सलाह–मशवरा करने की, और उनके सहयोग की, ज़रुरतों को व्यस्थापन योजना में माना गया हैं; परन्तु ये लोग कैसे और किस हद तक निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगे, यह बात स्पष्ट रुप से नहीं आई थी। क्या वे स्वयं निर्णय करेंगे, या फिर निर्णय प्रक्रिया में छोटी सी भूमिका निभाएँगे? इन सवालों का कोई जवाब व्यवस्थापन योजना में नहीं था। मीटिंग में स्थानीय चरवाहे, शिक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ, संशोधक, स्थानीय राजनीति से जुड़े लोग और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विचारगोष्ठी के दौरान श्री मीणा (कॉंज़र्वेटर फॉरेस्ट) और चरवाहों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चाएँ हुई और अनेक मुद्दों में स्पष्टता लाई गयी। श्री मीणा ने यह मान्य किया कि स्थानिक समुदाय इस क्षेत्र का नियोजन कर सकते हैं अगर वन विभाग उन्हें उचित सहयोग दे। यह संभव कर

सकने के लिये अनेक सुझाव आए जिनपर अमल करने का वादा श्री मीणा ने किया।

नोट : नीमा पाठक ने इसे लिखा है (neema.pb@gmail.com)। अधिक जानकारी के लिये सब्यसाची दास (sabyasachidas131@gmail.com) या संदीप विरमाणी (sandeep.i.virmani@gmail.com) को संपर्क करें।

२.२ उत्तराखण्ड से मिली ख़बर

२.२.१ उत्तराखण्ड के जैवविविधता से भरपूर, समुदाय द्वारा संरक्षित, क्षेत्रों के बारे में आयोजित की गई सभा

TERI (दी एनर्जी ॲन्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट) ने बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय के चौरास – श्रीनगर कैंपस में दो दिन की कार्यशाला आयोजित की। विषय था, "उत्तराखण्ड के समुदायद्वारा संरक्षित जैवविविधता से भरपूर क्षेत्र"। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी श्री चंडी प्रसाद भट्ट के हाथों इस का उद्घाटन हुआ। श्री भट्ट ने उत्तराखण्ड के हर गाँव के लिये एक अपने वन क्षेत्र के होने की ज़रुरत पर जोर दिया। वन के व्यवस्थापन में सहयोग देने के बजाय समुदायद्वारा वन का व्यवस्थापन किये जानेपर भी उन्होंने जोर दिया। मुख्य वक्ता PCCF डॉ. आर. बी. एस. रावत ने जैवविविधता के संरक्षण में समुदायों के सहयोग के वन्यजीव (संरक्षण) कानून (WLPA) में किये गए प्रावधानों का ज़िक्र किया। समुदायों के वन, जो उत्तराखण्ड की विशेषता है, पंचायतों के व्यवस्थापन में होते हैं। इस व्यवस्थापन में किये जा रहे समुदायों के कार्य की भी उन्हों ने सराहना की।

वर्कशॉप में देव वनों का संरक्षण, वन पंचायतों का गठन, वन व्यवस्थापन में सहयोग जैसे वन संरक्षण कार्य की सराहना की गई। स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधिओं ने अपने अनुभवों का वर्णन किया। दस वैज्ञानिक 'पेपर' पेश किये गए, और साथ ही समुदाय के पाँच प्रतिनिधिओं ने भी अपनी बात रखी।

संरक्षण व्यवस्थापन में उठनेवाले सवालों पर बहस करने का मौका इस सभा ने दिया, तथा TERI की "भारत में समुदाय के आधार पर किये जानेवाले जैवविविधता के संरक्षण की मज़बूती बढ़ाने" की परियोजना का प्रदर्शन भी किया गया।

लेखक : योगेश गोखले (*yogeshg@teri.res.in*), फेलो, 'दी एनर्जी ॲन्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट' (*TERI*), नवी दिल्ली

२.२.२ मुन्सिआरी वन पंचायत ख़तरे में

मलिका विर्दी, जो २००३ से सर्मोली जैन्ती वन पंचायत की सरपंच रही हैं, हमें इस ख़तरे के बारे में बताती हैं। सर्मोली और जैन्ती दो महसूल गाँव हैं, जिन्होंने मिलकर एक वन पंचायत स्थापित की है अपने गाँवों के जंगलों का नियोजन करने के लिये। इस पंचायत का दिसंबर २००९ में चुनाव होना था लेकीन वह तीन प्रयत्नों के बावज़ूद भी हो नहीं पाया, क्यों कि विरोधी लोगों ने उसे भंग कर दिया (१२ और २० दिसंबर २००९, और १० जनवरी २०१०)। चुनाव भंग करनेवाले स्थानीय ठेकेदार और ''नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन'' (NTPC) के कर्मचारी थे। NTPC इस वक्त घाटी की गोरी नदी पर २६१ मेगा वॉट का जलविद्युत प्रकल्प बना रही है। **सरपंच मलिका विर्दी उत्तराखण्ड महिला मंच की ज़िला समन्वयक भी हैं।**

पिछले कुछ सालों से उत्तराखण्ड में जल–विद्युत प्रकल्पों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ऐसे प्रकल्पों के कारण जैवविविधता को पहुँचनेवाली क्षति और पर्यावरण की होनेवाली हानि के बारे में चिन्ता भी प्रकल्पग्रस्त समुदायों में बढ़ रही है।

काली नदी की घाटी में और गोरी नदी पर कई बड़े जल–विद्युत प्रकल्प बनवाए जा रहे हैं। परंतु स्थानीय प्रशासन और प्राइवेट कंपनियों के विनाशकारी तरीकों के बारे में समझदार हो चुके घाटी के लोगों में अब इन प्रकल्पों का विरोध पैदा होने लगा है। NTPC लोगों से ज़मीन खरीद रही है, लेकिन उन के विरोध में गाँव के ही लोगों की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। लोग ग्राम विकास सलाह परिषद (जहाँ ज़मीनों की क़ीमतें तय की जाती हैं) की सभा नहीं होने दे रहे हैं, और प्रशासन व कंपनी, दोनों इस बात से नाराज़ हैं।

सर्मोली गाँव में जो हो रहा है वह इस विरोध के कारण पड़नेवाले प्रभावों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गाँव के लोग शुरु से जन सुनवाई में और हर प्रतिवाद में प्रभावित समुदायों के साथ शामिल थे। विरोध के इस आंदोलन के सफ़ल होने का एक कारण यह भी है, कि इस घाटी के गाँवों के लोगों ने निसर्ग पर्यटन की एक योजना बनाई है, जो २५ परिवारों में पर्यटकों के रहने–टेहलने का इन्तज़ाम करते हुए इन परिवारों की रोज़ी चलाती है। पिछले ६ सालों में इस योजना के द्वारा इन गाँवों को ११ लाख रुपयों की आमदनी मिली है। इस धन राशि से ३०० परिवारों को लाभ हुआ है। आर्थिक लाभ के अलावा जंगल का संरक्षण कर के समुदायों ने जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित किया है। इन गाँवों ने संरक्षण के लिये पिछले पाँच वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि वन तलाबों का निर्माण, व्यापक वृक्षारोपण, वन्य जीवों का संरक्षण (जो पाँच साल पहले की तुलना में आज कई ज़्यादा दिखाई देते हैं)।

अब तक इन गाँवों में हर प्रक्रिया लोकतांत्रिक पध्दति से चलाई गई है। जिसके कारण राजनीतिक जागरुकता भी काफ़ी बढ़

गयी है। गाँव को प्रकल्प के विरोध में अग्रणी माना जाने का यह भी एक कारण है। यही कारण है कि गाँव की इन प्रक्रियाओं को तोड़ देने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंसा की धमकियाँ दी जा रही हैं और बार–बार लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, ताकि लोग ड़रे हुए रहें।

अन्ततः २४ जनवरी २०१० को फिर एक बार वन पंचायत का चुनाव हुआ, जिसे आधे से ज़्यादा लोगों ने गलत बताकर उस का बहिष्कार किया। इस के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने चुनाव को सफ़ल माना और उसके परिणामों को बाक़ायदा घोषित किया। नयी वन पंचायत की कोई सभा अब तक नहीं हो पायी है। इसी कारण पिछली पंचायत के सदस्य सारा काम काज नये सदस्यों को सौंप नहीं सके हैं। समुदाय द्वारा अब तक किए गये संरक्षण संबंधी व बांध विरोधी काम को चौपट कराने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा चुपके से कार्य सौंपने की कोशिशें भी की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन और गाँव के विरोधक, मलिका विर्दी को चुनाव जीतने न देने की हर कोशिश कर रहे हैं।

इस परिस्थिती में गाँव के अनुसार जो महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने चहिये, वे इस प्रकार हैं:

१) सुरक्षित स्थान पर और निष्पक्ष रुप से ज्येष्ठ 'रिटर्निंग ऑफिसर' की उपस्थिति में चुनाव हों।

२) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बार–बार भंग करनेवालों पर कानूनन कार्रवाई की जाए।

३) NTPC द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के विरुध्द कार्रवाई की जाए।

४) वर्तमान महिला सरपंच और उन की महिला समर्थकों के विरोध में गुंडों की मदद लेकर चलाया हुआ भ्रष्ट अभियान तुरंत रोक दिया जाए।

अच्छा शासन–विधि सुनिश्चित करने में वन पंचायतों की भूमिका के महत्व को पहचानना बहुत ज़रुरी है। उसी के साथ गाँव के वन का संरक्षण करने में, जल और पशु–पक्षी, पौधे, जल और अन्य नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षण करने में और गाँव के लोगों की आमदनी की सुरक्षा को समुदाय के इको–टुअरिज़म उपक्रम के ज़रिये बढ़ाने में वन पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका को मान लेना ज़रुरी है।

नोट : आप मदद करना चाहें तो जानकारी के लिये मलिका विर्दी (*malika.virdi@gmail.com*, 9411194041 (m)), या Theophilus (*etheophilus@gmail.com*, 9456105758 (m)) से संपर्क करें।

३. 'केस स्टडी'

३.१ ओडिशा – वन अधिकार कानून (Forest Rights Act - FRA) को लागू करने में सफल (कलाहण्डी ज़िले के कर्लापाट अभयारण्य में समुदाय के अधिकारों में परिवर्तन)

तेंटुलीपदर गाँव के सीता माझी (उम्र ७५ साल) को वह दिन याद है, जब वे पहली बार अपने पिता के साथ उस जंगल में गये थे, जो आज कर्लापाट अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। वह जंगल उन्हे इतना भाया, कि उन्होंने वहीं बसने की ठान ली। तब से उस क्षेत्र में आये सारे बदलावों के वे साक्षीदार हैं।

११ परिवारों का बना यह छोटासा गाँव कलाहण्डी ज़िले के कर्लापाट अभयारण्य में बसा हुआ है। सारे परिवार कंध जनजाति (अनुसूचित जनजाति– शेड्यूल्ड ट्राइब (ST)) के सदस्य हैं। कहा जाता है कि गाँव के आसपास खड़े अनेक तेंटुली (इमली) के पेड़ों के कारण गाँव को यह नाम दिया गया। गाँव का करीबन सौ सालों का इतिहास है। सीता माझी बताते हैं कि उन के पिता कलाहण्डी के राजा की पालकी उठाया करते थे। वे राजा और रानी को तथा उनके सामान को भवानीपटना ले जाते थे। उनके दादा–पड़दादा राजा से 'पोडू छास' (झूम खेती) करने की अनुमति पाने के लिये उन्हे 'ख़जाना' शुल्क दिया करते थे। भारत स्वतंत्र होने पर कलाहण्डी में 'पोडू' खेती को कानूनी मान्यता दी गई। हर पट्टेदार (कोडकी), सालाना ५० पैसे शुल्क भर कर ५ अेकड़ तक के खेत में 'पोडू' खेती कर सकता था (कलाहण्डी वन विभाग की संशोधित कार्य योजना १९९७–९८ से २००६–०७ तक)।

सीता माझी और उनके परिवार के अनुसार गाँव को सौ सालों का इतिहास होते हुए भी प्रशासन इतना उदासीन था कि लोगों की ज़िन्दगी अनिश्चितता से भरी हुई थी। उन्हे हमेशा अपने ही गाँव से निकाल दिये जाने का ड़र लगता था, क्यों कि जिस ज़मीन पर उनके घर खड़े थे, उस पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। परंपरा से वे जिन वन–उपजों पर अपने गुज़र–बसर के लिये निर्भर थे, उन पर भी उनका कोई कानूनन अधिकार नहीं था। *इसीलिये FRA इस गाँव के लिये वरदान बन गया है, क्यों कि उसीने गाँव को सामाजिक पहचान दी है, और साथ ही आर्थिक स्थिरता और उनकी संस्कृति और संसाधनों पर रहे पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षा भी दी है।*

वन अधिकार कानून लागू होने से पहले की स्थिति –

अभयारण्य के भीतर बसा 'अन–सर्वेइड' गाँव होने के कारण तेंटुलीपदर गाँव को अतिक्रमण किया हुआ गाँव माना जाता रहा है। इसी कारण वे महसूल विभाग को दण्ड की रकम दिया करते

थे। कंध जनजाति के लोग निसर्ग की पूजा करते हैं और वनों के साथ उन का घनिष्ट नाता है। उन की संस्कृति और आध्यात्म अरण्य से जुड़े हुए हैं और वही उनके गुज़र–बसर के मुख्य साधनों का स्रोत है। वे वनों का पारंपरिक रीति से उपयोग करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। साल के ४–६ महीने वन ही उन्हें अन्न–सुरक्षा देते हैं।

संरक्षित क्षेत्र घोषित होने से पहले तेंटुलीपदर के हर परिवार को इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वन उपजों की बिक्री से सालाना क़रीबन रु. १०,००० मिलते जाते थे। लेकिन गाँव अभयारण्य के भीतर होने के कारण उन पर वन्य जीव संरक्षण कानून (WLPA 1972) तथा सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा (२०००) (जो ऐसे NTFP वन उपज इकट्ठा करने पर रोक लगाती है) कठोरता के साथ थोपे गये । सन २००० से परिवार न ही वन उपज इकट्ठा कर पा रहे हैं, और न ही अपनी जंगल ज़मीनों की जुताई कर पा रहे हैं। उन की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती से पेड़ लगाये गये। उन्हे बेसहारा बनकर मुसीबतों का सामना करते रहना पड़ रहा था।

वन अधिकार कानून के लागू किये जाने के बाद हुई स्थिती

जनवरी २००८ में गाँव को नये "अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य आदिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून (जिसे FRA कहा जाता है) के बारे में जानकारी मिली। इसी दौरान कर्लापाट अभयारण्य के भीतर बसे १९ गाँवों ने मिल कर 'कर्लापाट वनाँचल सुरख्या परिषद' बनाई – FRA को अधिक ज़ोरदार प्रयत्नों द्वारा लागू कर सकने के लिए। परिवारों की महिलाएँ, जो प्रतिबंधों के कारण सब से ज़्यादा पीड़ित थी, तय कर चुकी थीं कि नैसर्गिक संसाधनों पर फिर अधिकार पाने के लिये वे आगे बढ़ के ड़ट के मुक़ाबला करेंगी।

इसी कारण हर गाँव में वन अधिकार समिति बनाई गई। महिला सबलीकरण की अच्छी मिसाल यह रही कि कर्लापाट अभयारण्य के हर गाँव की वन अधिकार समिति की अध्यक्ष और सचिव दोनों भी महिलाएँ हैं।

तेंटुलीपदर गाँव के परिवारों ने FRA के अनुसार अपनी पारंपरिक खेती (FRA के अनुसार जो वन ज़मीने १३ दिसंबर २००५ से पहले लोगों के कब्ज़े में थीं, उन पर दावा लगाया जा सकता है। इसलिये गाँव के लोग ऐसी ज़मीनों पर भी दावा कर सकते हैं जहाँ वे पोडू खेती करते थे। तेंटुलीपदर के लोग स्थापित खेती और पोडू खेती भी करते हैं, और उन्हों ने FRA के अनुसार हर ऐसे क्षेत्र पर दावा किया है जहाँ खेती की जाती है।) की ज़मीनें फिर पाई हैं, जिन पर वन विभाग का कब्ज़ा था। गाँव के लोगों ने वन से अलग–अलग संसाधनों को अपने उपयोग के लिये नियमित तौर पर इकट्ठा करनेवालों के गटों को पहचाना है, जैसे कि NTFP इकट्ठा करनेवाले, पारंपरिक बैद्य, चरवाहे, महिलाएँ, इत्यादि। वन उपजों पर निर्भरता के आधार पर गाँव ने अपनी पारम्परिक सीमाएँ तय कर ली हैं, और पूरे क्षेत्र पर FRA के ज़रिये 'समुदायिक वन संसाधनों' पर अधिकार का दावा किया है।

अब गाँव में व्यक्तियों के दावों की सत्यता की जाँच का काम पूरा हो चुका है। उन को ज़मीन के स्वामित्व अधिकारपत्र मिल गए हैं, और उन के चेहरों पर खुषी दिखाई देती है। जिस खेती की ज़मीन पर वन विभाग ने पेड़ लगाए थे, उस पर लगे दावों की सत्यता की जाँच भी वन विभाग और महसूल विभाग ने मिलकर की है। उम्मीद है कि इन दावों को भी मान लिया जाएगा।

देश में ओडिशा ऐसा पहला राज्य है, जिस की सरकार ने आगे बढ़ कर FRA को लागू करने का भरपूर प्रयत्न किया है और अभयारण्यों तक के भीतर बसे दावेदारों को स्वामित्व अधिकार दे दिये हैं। आज तक किसी अन्य राज्य ने अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसे लोगों को ऐसा अधिकार नहीं दिया है। इसलिये FRA के वास्तविक उद्देश्य को पहचान कर प्रावधानों को लागू करने के लिये ओडिशा सरकार की सराहना की जानी चाहिये।

लेखक : श्वेता मिश्रा (swetamishra1@gmail.com), वसुंधरा, भूबनेस्वर, ओडिशा

३.२ राजस्थान – अरवली पर्वतों में समुदायों द्वारा संरक्षण

भाओंटा–कोलयाला में अपनाई गई नैसर्गिक संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था का महत्व निरन्तर दोहराने योग्य है। भाओंटा–कोलयाला गाँव की युवा पीढ़ी की महिला कपूरी जानती है कि बड़े पेड़ों के कारण बारिश में बढ़त होती है, और वनों की सुरक्षा पर मवेशियों की संख्या निर्भर होती है। कपूरी निरंतर पैदावर और जलग्रहण क्षेत्रों के पुनर्जीवन के मुद्दे मुझे समझा रही थी। गाँव के पर्यावरण के बारे में उस की जानकारी को देख कर मैं हैरान रही। जो बातें अनपढ़ कपूरी जानती थी, उन्हे समझने में मुझे उच्च माध्यमिक स्तर तक जीवशास्त्र की पढ़ाई करनी पड़ी थी।

राजस्थान के अरवली पर्वत में स्थित भाओंटा–कोलयाला चरवाहों का एक छोटासा गाँव है। बीस सालों से यह वनों और जल स्रोतों का संरक्षण कर रहा है। तरुण भारत संघ–एक NGO–की मदद से इस गाँव ने अपने नैसर्गिक संसाधनों के संरक्षण के लिये नियम बनाने के लिये, तथा गाँव के बारे में चर्चाओं के लिये ग्राम सभा बनाई। ग्राम सभा में हुई चर्चाओं के कारण नैसर्गिक संसाधनों की सुरक्षा के लिये कानून बनाने में भाओंटा–कोलयाला अपने क्षेत्र में अव्वल रहा है।

बॉक्स २ : जोहड़

जोहड़ मिट्टी और मलबे से बनी एक सरल संरचना है, जो बारिश के पानी को थामने के लिये पानी के बहाव के आरपार बनाया जाता है। कभी कभी किसी एक धारा पर एक के बाद एक, इस प्रकार कई जोहड़ बनाए जाते हैं। जोहड़ में तीनों ओर से ऊँचे बाँध बनाकर चौथी ओर पानी को प्रवाहित किया जाता है। साधारण जोहड़ अर्धचंद्र आकार के होते हैं। जोहड़ की क्षमता आनेवाले सारे पानी को थामने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये, इस हिसाब से उस की उंचाई तय की जाती है। जोहड़ो का रख–रखाव नियमित रुप से किया जाता है।

भेड़–बकरियों के लिये चारा और घरों के लिये जलाऊ लकड़ी के लिये भाओंटा–कोलयाला के लोग ज़्यादातर सूखे पत्ते और ज़मीन पर गिरी हुई सूखी टेहनियाँ इकट्ठा करते हैं। अगर गाँव में किसी को मज़बूरी रोज़ी–रोटी के लिये पेड़ काटना हो, तो पहले उसे ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। गैर–कानूनी पेड़–कटाई के लिये रु.१०१ से लेकर रु.१५०० तक का जुर्माना भरना पड़ता है। इन नियमों के कारण वन बेहतर बन गए हैं। गाँव को वन उपज भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। तरुण भारत संघ की मदद से भाओंटा–कोलयाला ने अनेक जोहड़ बनाए हैं, जिन में से परिवारों के और खेतों के लिये भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है।

बॉक्स ३ : अच्छे उदाहरणों से क्यों न सीखे और क्यों न उन्हे दोहराएँ?

भाओंटा–कोलयाला से ५ कि.मी. की दूरी पर बोरिआवास गाँव है, जहाँ वनों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिये कोई मिले–जुले प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। परिवारों को जो संसाधन जितनी मात्रा में आवश्यक हो, वे वन में से ले लेते हैं। इस प्रकार सारे वृक्ष तोड़े गये हैं। ज़्यादातर परिवारों का विश्वास है कि उन की जलावन लकड़ी की ज़रुरत पूरी हो रही है। लेकिन, वनों का दर्जा घटने के कारण, कुछ ही सालों में लकड़ी की कमी हो सकती है। इस के अलावा, ज़्यादातर लोगों को खेती के लिये पानी बहुत कम मिलता है।

इस उदाहरण से पता चलता है कि गाँव में रोज़ी–रोटी की व्यवस्था और निसर्ग संरक्षण की व्यवस्था मिल कर चलाई जा सकती है। स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण से अधिक लाभ मिलता है, क्यों कि उसपर उनकी आजीविका निर्भर करती है। उम्मीद है कि आनेवाले दशकों में समुदायों ने किये हुए वन संरक्षण के कारण ही नष्ट होते जा रहे वन बच पायेंगे, और साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रह सकेगी।

४. अंतर्राष्ट्रीय ख़बरें

४.१ बांग्लादेश में समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों (CCA) पर चर्चासत्र

'बांग्लादेश के समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र' इस विषय पर २४–२५ फर्वरी २०१० को एक चर्चासत्र हुआ। 'वाइल्डलाइफ़ ट्रस्ट ऑफ बांग्लादेश', और भारत की NGO 'कल्पवृक्ष' इस के आयोजक थे, और 'युनाइटेड नेशन्स डिवेलप्मेंट प्रोग्रॅम' UNDP ने इसमें सहयोग दिया। ६० से ज़्यादा संस्थाओं/व्यक्तियों ने इस में हिस्सा लिया। कल्पवृक्ष के कुछ सदस्य, नेपाल से आये कुछ लोग और पाकिस्तान और श्रीलंका से आये कुछ लोग भी इस में शामिल हुए थे। चर्चासत्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रहे :

१. बांग्लादेश में समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति, चुनौतियाँ और क्षमताएँ;
२. बांग्लादेश में CCA को बढ़ावा देने व उनको सहायता देकर उनका विकास करने के शाश्वत मार्गों की पहचान;
३. CCA क्षेत्रों की सहायता के प्रावधान और उसके लिये आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा करना।

चर्चासत्र में निम्नलिखित तथ्य व बिन्दू निकले :

१. बांग्लादेश में CCA क्षेत्रों की स्पष्ट कल्पना मिली;
२. विविध देशों के समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के बारे में लोगों ने एक दूसरे के साथ अनुभवों का आदान प्रदान किया;
३. CCA क्षेत्रों का महत्व और उन को बनाए रखने के मार्ग पर चर्चा हुई व निष्कर्ष निकले;
४. CCA क्षेत्रों के सामने खड़ी चुनौतियाँ और कुछ स्थिति में ढूँढे गये पर्यायों को समझने में सहायता मिली;
५. अन्य देशों में हुए नीतियों के बदलाव, उनके कारण व प्रभावों और बांग्लादेश के लिये उनके महत्व पर चर्चा हुई;
६. CCA क्षेत्रों की पहचान जारी रखने का और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के महत्व को सभी ने मान्य किया;
७. CCA के बारे में उपलब्ध जानकारी को स्पष्ट करने के लिये मुख्य अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को समझने में सहायता मिली;
८. बांग्लादेश में स्थित CCA क्षेत्रों की ज़रूरतें, और विद्यमान और प्रस्तावित कानूनों और नीतियों के अनुसार उन को मान्यता दिलाने के मार्गों पर चर्चा हुई।

नोट : अधिक जानकारी के लिये गवसिया वहीदुन्नीसा चौधुरी (*gawsia@gmail.com*) को लिखें। वह 'नोआखाली साइन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजी युनिवर्सिटी' में असिस्टंट प्रोफेसर हैं। वह 'वाइल्डलाइफ़ ट्रस्ट ऑफ़ बांग्लादेश' की सदस्या भी हैं।

४.२ नेपाल में नये संरक्षित क्षेत्रों की हाल में की गई घोषणा

४ दिसंबर २००९ को नेपाल सरकार ने तीन नये संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की : बांके राष्ट्रीय उद्यान, गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्र और अपि नाम्पा संरक्षित क्षेत्र। नेपाल के 'फ़ेडरेशन ऑफ़ कम्यूनिटी फ़ॉरेस्ट यूज़र्स नेपाल – FECOFUN' ने और नेपाल की अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने इन संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की निंदा करते हुए कहा है कि योग्य आदिवासी और स्थानीय समुदायों की पूर्व–सहमति लिये बिना ही यह घोषणा की गई है।

नेपाल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों में नेपाल शामिल हो चुका है – विशेष कर 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी – CBD' के 'प्रोग्रॅम ऑफ़ वर्क ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ – PWoPA', संयुक्त राष्ट्रसंघ के 'डेक्लरेशन ऑन राइट्स ऑफ़ इण्डिजिनस पीपल्स' और इंटरनैशनल लेबर और्गनायज़ेशन के 'कन्वेन्शन १६९ ऑन इण्डिजिनस अॅण्ड ट्रायबल पीपल्स'। इस लिये नेपाल सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन क्षेत्रों की विद्यमान स्थिति को स्पष्ट करें और यह भी बताएँ कि वहाँ के आदिवासी और स्थानीय समुदायों के साथ सलाह–मशवरा कर के उन की पूर्व–अनुमति पाने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये थे। विशेष कर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :

- ये अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य नेपाल सरकार ने अपनी मर्ज़ी से मान लिये हैं और ये 'इंटर्नैशनल यूनियन फ़ॉर द कॉंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर' का समर्थन भी पा चुके हैं। इन कर्तव्यों के अनुसार नेपाल के संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और व्यवस्थापन वहाँ के आदिवासी और स्थानीय समुदायों के सहयोग और उनकी संपूर्ण पूर्व–अनुमति से ही होने चहिये।
- संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और व्यवस्थापन की प्रक्रिया समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अनुभवों पर आधारित हों, और स्थानीय आजीविका व्यवस्था और अधिकारों को कतई नज़र–अंदाज़ न किया जाये।
- CBD की 'कॉन्फ़रन्स ऑफ़ पार्टीज़' ने संरक्षित क्षेत्रों के बारे में लिये हुए अपने निर्णय क्र. VII/२८ (२००४) के माध्यम से सदस्यों (पार्टीज़) को अनुरोध किया है कि २००८ तक वे सुनिश्चित करें कि वर्तमान संरक्षित क्षेत्रों के व्यवस्थापन में, तथा नये संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और व्यवस्थापन में आदिवासी और स्थानीय समुदायों का पूरा और प्रभावकारी सहयोग रहे।

समुदाय और संरक्षण – स्थानिक आजीविकाओं को ध्यान में रखते हुए जैवविविधता का संरक्षण
अंक ३, नं.१ एप्रिल २०१०
संपादक : मिलिन्द वाणी
परामर्श व भाषा संपादन : नीमा पाठक
संपादकीय सहयोग और अनुवाद : अनुराधा अर्जुनवाडकर
मुखपृष्ठ फोटो : अशिष कोठारी, बांग्लादेश के समुदाय द्वारा संरक्षित बैक्का बील (वेहण्ड श्रीमगल में स्थित एक झील) की व्यवस्थापन समिति के सदस्य
अन्य तस्वीरें : चित्रांकन : मधुवंती अनंतराजन, राम चंद्रन
अन्य सहायता : उज्वला नलवडे, गोविंद खलसोडे
निर्माण : कल्पवृक्ष अपार्टमेंट ५ श्री दत्त कृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे 411 004
फोन : 91-20-25675450 फोन/फॅक्स : 91-20-25654239 ईमेल : *kvoutreach@gmail.com* वेबसाइट : *www.kalpavriksh.org*
आर्थिक सहयोग : मिज़ेरिओर, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,